अति–आवश्यक

# कार्यालय अति0 पुलिस महानिदेशक (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प–6 (32) नोडल/एएचटीयू/बा.स.आ/13/2319–2470 दिनांक 26-6-2013

## परिपत्र

**विषयः– बाल तस्करी (चाईल्ड ट्रैफिकिंग) की रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश।**

बाल तस्करी/ट्रैफिकिंग/दुर्व्यापार संगठित अपराध होने के साथ–साथ बाल अधिकारों का उल्लंघन भी है। बच्चों की तस्करी मुख्यतः वैश्यावृति, लैंगिक शोषण, श्रम, दास प्रथा, मानव अंगों की खरीद–फरोख्त, बालक एवं बालिकाओं का विभिन्न कार्यों हेतु अपहरण मुख्य है।

राजस्थान में बाल तस्करी (चाईल्ड ट्रैफिकिंग) के स्त्रोत एवं गन्तव्य स्थल दोनों है। राज्य में कुछ जातियों में वैश्यावृति की सामुदायिक मान्यता के चलते इन समुदायों की औरतें, बालिकाएं जीवनयापन करने के लिए वैश्यावृति में लिप्त है। राज्य के पूर्वी जिलों में बालिकाओं की तस्करी के मामले सामने आये है। इसके अतिरिक्त जैम पॉलिशिंग, आरी–तारी, कारपेट बनाने, ईंट भट्टों, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानों, कृषि व्यवसाय, चाय की थड़ियों, व ढाबों सहित अनेक कार्यो में बच्चों के नियोजन हेतु अन्य राज्यों जिनमें प बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यू.पी., दिल्ली, झारखण्ड आदि से बच्चों को राज्य में लाया जाता है।

विगत कुछ वर्षों से दक्षिण राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से बच्चों को कृषि व अन्य कार्य हेतु तस्करी कर गुजरात ले जाया जाता है। इनके अतिरिक्त राज्य में बालिकाओं का लिंगानुपात कम होने के कारण विवाह एवं अन्य प्रयोजनों के लिए बालिकाओं की खरीद–फरोख्त एवं अपहरण के कुछ मामले भी सामने आये है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2(K) के तहत बच्चे की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 2(D)(vii) में तस्करी के शिकार होने वाले एवं पीड़ित बच्चों एवं अधिनियम की धारा 2(D)(ia) में कामकाजी बच्चों (बाल श्रमिक) को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम में बच्चों पर क्रूरता (धारा 23– संज्ञेय एवं जमानतीय), बच्चों से भिक्षावृति करवाना (धारा 24(1) – संज्ञेय एवं गैर जमानतीय), बच्चों को नशीली वस्तुएं देना (धारा 25– संज्ञेय एवं गैर जमानतीय), बाल श्रमिक का शोषण (धारा 26– संज्ञेय एवं गैर जमानतीय) को दण्डनीय अपराध माना गया है।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर धारा 370 एवं 370क में मानव तस्करी (व्यक्ति का दुर्व्यापार) एवं इससे पीड़ित व्यक्ति का शोषण को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए इसे संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 में मानव तस्करी (व्यक्ति का दुर्व्यापार) जिसमें महिला एवं बच्चे भी सम्मिलित है, को निम्नानुसार परिभाषित किया है:–

(1) जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहनित करता है, (ग) संश्रय देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ड) गृहित करता है, –

पहला.– धमकियों का प्रयोग करके; या

दूसरा.– बल या किसी भी अन्य प्रकार की प्रतीडन का प्रयोग करके; या

तीसरा.– अपहरण द्वारा; या

चौथा.– कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा; या

पांचवां.– शक्ति का दूरूपयोग करके; या

छठवां.– उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के भुगतान या फायदा देना या प्राप्त करना भी आता है,

वह दुर्व्यापार (मानव तस्करी) का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1. – "शोषण" पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या (दासी ) के समान व्यवहार या अंगों का बलात् अपसारण भी है।

स्पष्टीकरण 2. – दुर्व्यापार (मानव तस्करी के अपराध में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।

धारा 370(4) एवं 370(5) में बाल तस्करी (चाईल्ड ट्रैफिकिंग) करने वालों को अधिक सजा दिये जाने के प्रावधान भी किये गये है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370क (1) में व्यक्ति का दुर्व्यापार जिसका शोषण किया गया है, को निम्नानुसार परिभाषित किया है:–

जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

उक्त के अतिरिक्त लैंगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 18 वर्ष की आयु से कम के बालक/बालिकाओं को खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीडन/शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई को विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। उपरोक्त परिपेक्ष्य में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं की तस्करी (चाईल्ड ट्रैफिकिंग) से रोकथाम, मुक्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु पुलिस की भूमिका निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1. बच्चों की तस्करी या ऐसे अपराध के कारित होने की आंशका के संबंध में प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाने के ड्यूटी अधिकारी/महिला एवं बाल हेल्प डेस्क द्वारा सक्रियता से कार्य किया जाकर पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित मानव तस्करी विरोधी यूनिट को सूचित करेगा।

2. जब भी बच्चों की तस्करी या ऐसे अपराध के कारित होने की आंशका के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन या चाईल्ड हैल्प लाईन (1098) पर फोन के माध्यम से सूचना दी जाती है तो जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष और ड्यूटी अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी/मानव तस्करी विरोधी यूनिट उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुये, संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के साथ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3. बाल तस्करी करने में नियोजित संबंधित व्यक्ति/नियोक्ता/दलाल एवं इस तस्करी में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध बिना किसी देरी के भारतीय दण्ड संहिता की प्रांसगिक धाराओं मुख्यतः 34, 120बी, 344, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 370(4), 370(5), 370ए, 371क, 372, 373, 374 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23, 26 एवं लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बंधुआ श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1976 तथा आईपीटीए, एनडीपीएस एक्ट, यूएपीए एवं अन्य प्रांसगिंक अधिनियम एवं धाराओं में स्वयं के स्तर पर एफआईआर दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार किया जायेगा।

4. बाल तस्करी के सभी मामलों की जांच मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं मिसिंग पर्सन सैल द्वारा ही की जायेगी। पुलिस थाने के संबंधित बाल कल्याण अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों की जांच की सकेगी तथा संबंधित वृत्ताधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे। बाल तस्करी के मामलों की जांच अधिकतम एक माह में पूरी की जायेगी।

5. यदि तस्करी किये गये बच्चे के साथ लैंगिंक शोषण किया गया है तो संबंधितों के विरूद्ध लैंगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 24.01.13 को जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

6. मानव तस्करी के सतत् अपराध होने के कारण संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध बच्चों को मुक्त कराये गये स्थान/गायब होने के स्थान/बच्चे के वर्तमान निवास स्थान वाले संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। यदि बच्चों को रेल्वे परिसर के अंदर से मुक्त कराया जाता है तो संबंधित जीआरपी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जायेगा।

7. बाल तस्करी के संभावित स्थानों की पहचान की जाकर उन पर सतत् निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। लैंगिक शोषण/वैश्यावृति पर विशेष सर्तकता हेतु होटल, गेस्ट हाऊस, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, ब्रोथल, रेड लाईट एरिया, फ्रेन्ड्स क्लब, ट्यूरिस्ट सर्किट, ट्रेवल एजेंसियां इत्यादि सम्भावित क्षेत्र है।

8. बच्चों का श्रम में नियोजन एवं इस संबंध में बच्चों की तस्करी पर रोकथाम हेतु कारखानों, आरी–तारी कार्यों, ईट भट्टों, ढाबों, खदानों इत्यादि पर नियमित रूप से निगरानी एवं छापेमारी की जायेगी। बाल तस्करी में सम्मिलित माध्यमों मुख्यत बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, निजी वाहन स्टेण्ड, प्लेसमेंट एजेंसियों इत्यादी पर भी विशेष निगरानी की जायेगी।

9. रेल्वे सुरक्षा बल एवं जीआरपी पुलिस के सहयोग से बाल तस्करी की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। रेल्वे स्टेशनों पर स्थापित पुलिस सहायता बूथ/चाईल्ड अस्सिटेन्ट बूथ के माध्यम से रेल के जरिये बडी संख्या में बच्चों को लाने–ले जाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जायेगी।

10. बाल तस्करी के पीडित बच्चों/बाल श्रमिकों को मासिक स्तर पर लक्ष्य आधारित मापदण्ड तय कर मुक्त कराया जायेगा। बाल तस्करी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थानों/कार्यस्थलों पर सतत् छापेमारी संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

11. बच्चों की सख्या अधिक होने अथवा व्यापक स्तर पर तस्करी होने की संभावना होने की स्थिति में सभी सम्बन्धितों के साथ मिलकर कार्यदल का गठन कर बच्चों को मुक्त कराया जायेगा। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के संबंध में गठित टॉस्क फोर्स/जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

12. बाल तस्करी रोकथाम हेतु नियमित अन्तराल पर डिकॉय ऑपरेशन भी संचालित किये जायेगे ताकि ऐसी अवैध गतिविधियो में लिप्त व्यक्तियो की पहचान एवं पीडितो को मुक्त कराया जा सके।

13. अवैध नवजात शिशुओं की गोद लेने के नाम पर खरीद फरोख्त/तस्करी को रोकने हेतु नर्सिंग होम/अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों की भी निगरानी रखी जायेगी तथा ऐसे मामले सामने आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. छापेमारी कार्यवाही के दौरान वहां मौजूद वस्तुओं की सूची, संस्था के विभिन्न प्रकार के रिकार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अग्रिम जांच के लिए पुलिस कब्जे में लिया जायेगा। प्रकरण में आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जायेगी।

15. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत आने वाली बालिकाओं को दोषी माने जाने के स्थान पर उन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जायेगा।

16. पुलिस थाने के ड्यूटी अधिकारी द्वारा मानव तस्करी के प्रकरण में सूचना लेखबद्ध नहीं करने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166ए के तहत् कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

17. पीडित अथवा उसके परिवार के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारें में टिप्पणी नहीं की जायेगी। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना भाषा का उपयोग नहीं किया जायेगा।

18. बाल तस्करी से मुक्त कराये गये प्रत्येक बच्चे को 24 घण्टे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ताकि उसके संरक्षण एवं पुर्नवास संबधी कार्यवाही की जा सके।

19. पीडित बच्चों के सीआरपीसी 161 के तहत बच्चे के बयान उसके घर या जहां पर बच्चा स्वयं को सहज महसूस करें, वहां उसके परिवारजन/किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है की उपस्थिति में/संबंधित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/समर्थन व्यक्ति/बाल कल्याण समिति द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।

20. पीडित बच्चे की आवश्यक काउंसलिंग एवं सामान्य स्थिति में आने के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी 164 के बयान दर्ज किये जायेंगे।

21. संबंधित दोषी व्यक्तियों से तस्करी के संबंध में समस्त जानकारी प्राप्त की जाकर तस्करी से जुडे अन्य व्यक्तियों एवं अन्य इसी तरह रैकिटों के बारे में पता लगाया जायेगा तथा सतत निगरानी रखी जायेगी।

22. वैश्यावृति, अन्य अनैतिक कार्यों एवं बाल श्रम के उपयोग लाये जा रहे संस्थान/भवन/कारखाने का नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण एवं संस्थान को नियमानुसार सीज करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी। बालिकाओं के वैश्यावृति एवं अन्य अनैतिक कार्यों में उपयोग लाये जा रहे संस्थानों के रिकार्ड जब्त किये जायेगा।

23. भारत सरकार द्वारा संचालित मिसिंग एवं फाउण्ड चाइल्ड टैकिंग वेबसाइट www.trackthemissingchild.gov.in एवं जिपनेट वेबसाइट पर पुलिस को प्राप्त होने वाले बालक–बालिका का डाटा तत्काल संधारित किया जायेगा।

24. प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रकिया अपनायी जायेगी जिसमें पीडित बच्चें की पहचान किसी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होना, थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीडित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि मुख्य है।

25. बच्चे के साथ संवाद एवं प्रकरण में सहयोग हेतु समर्थन व्यक्ति, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल अधिकार विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चाईल्ड लाईन (1098) अथवा अनुभवी स्वैच्छिक संगठन/सीएलजी से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

26. बच्चों के विरूद्ध अपराध जिसमें बाल तस्करी भी सम्मिलित है, के मामलों का विचारण हेतु जिला एंव सत्र न्यायालय (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत अधिकृत विशेष न्यायालय) द्वारा किया जायेगा।

27. बच्चों की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालको की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2000 के अनुसार ही किया जायेगा।

28. बाल श्रम/तस्करी के संबंध में दिनांक 21.08.12, 29.04.13 एवं बाल भिक्षावृति की रोकथाम के संबंध में दिनांक 05.02.13 से राज्य सरकार एवं गुमशुदा बच्चों के संबंध मे दिनांक 15.06.13 से राजस्थान पुलिस द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

29. बाल श्रम से मुक्त कराये गये प्रत्येक बच्चे के बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराये जायेगे।

30. पीडित बच्चों को राजस्थान पीडित प्रतिकर योजना, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत मुआवजा दिलाया जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

31. बाल तस्करी के प्रकरणों में संबंधित बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण एवं न्यायपालिका के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

32. बाल तस्करी में अन्य राज्य के व्यक्तियों की लिप्तता होने एवं इसकी रोकथाम में अन्य राज्यों की मानव तस्करी विरोधी यूनिट/स्थानीय पुलिस की मदद ली जायेगी।

33. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त बाल तस्करी पर जांच अधिकारी/मानव तस्करी विरोध यूनिट/बाल कल्याण अधिकारियों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

34. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त प्रत्येक थाने में स्थापित महिला एवं बाल हेल्प डेस्क का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुए विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठकों में बाल तस्करी की रोकथाम की समीक्षा की जाएगी। बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई की कार्ययोजना तैयार की जाकर कार्यवाही की जायेगी।

35. यौन हिसां/अवैध रिश्तों से जन्मे हुऐ नवजात शिशुओं को यदि कोई बालिका पालने मे असक्षम है या अपने भविष्य के कारण शिशु का परित्याग करना चाहती है, तो उसे

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत् शिशु को समर्पित करने की प्रकिया से अवगत कराया जायेगा एवं उसके विरूद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया जायेगा।

36. उपरोक्त के अतिरिक्त बच्चों के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के आदेश दिनांक 30.04.2012 के जरिये जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

37. जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त/प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा त्रैमासिक स्तर पर बाल तस्करी को रोकने के संबंध में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण की एकजाई रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) एवं नोडल अधिकारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट को प्रेषित की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त (अध्यक्ष, विशेष किशोर पुलिस इकाई) इन दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इसे प्राथमिकता से लागू किया जावे।

(आर.पी.सिंह)
अति0 पुलिस महानिदेशक
(सिविल राईट्स) राजस्थान

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. उपसचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर/अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
7. समस्त अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति।
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, राजस्थान पुलिस को पालनार्थ।
10. समस्त प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट को पालनार्थ।
11. समस्त प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई को पालनार्थ।
12. समस्त प्रभारी, महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ।
13. आदेश पत्रावली।

अति0 पुलिस महानिदेशक
(सिविल राईट्स) राजस्थान